



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक— / 2018

ग्रामीण | दमोह | अक्टूबर | 2018 | 01207

राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र शिव नारायण अग्रवाल,
निवासी—राजा अग्रवाल मैरिज हॉल के सामने,
बड़ापुल दमोह, तहसील व जिला दमोह(म.प्र.)

—आवेदक

बनाम

- 1. अजीत उज्जैनकर पुत्र स्व. अरुण नारायण
राव उज्जैनकर, निवासी—सिविल वार्ड नंबर-1,
मोहन टॉकीज के पास, दमोह, तहसील व
जिला दमोह (म.प्र.)
- 2. भगवान सिंह लोधी पुत्र श्री शिव प्रसाद लोधी
- 3. बाबूलाल लोधी पुत्र शिव प्रसाद लोधी
- 4. विन्द्रावन लोधी पुत्र शिव प्रसाद लोधी
निवासीगण—ग्राम सिमरी राजाराम, तहसील व
जिला दमोह (म.प्र.) ——अनावेदकगण

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय दमोह द्वारा
प्रकरण क्रमांक—49/अ—6/2016—17 में पारित आदेश
दिनांक 08/02/2018 के विरुद्ध म.प्र.भू—राजस्व संहिता,
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, ग्राम महुआखेड़ा तहसील व जिला दमोह में स्थित भूमि खसरा क्रमांक—126, 127, 149 एवं 168 के भूमि स्वामी नारायण राव थे।
2. यह कि, उक्त भूमि को शिव प्रसाद लोधी द्वारा सन् 1945 में भूमिस्वामी नारायण राव से विक्रयपत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तदनुसार राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया। (खसरा की छायाप्रति संलग्न है)
3. यह कि, सन् 1965 में अनावेदक क्रमांक—1 के बाबा नारायण राव का स्वर्गवास हो गया एवं अपने जीवनकाल में उन्होंने उक्त भूमि के विषय में कभी भी कोई आपत्ति नहीं थी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1207

राजेन्द्र विरुद्ध अजीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से सुनील सिंह जादोन उपस्थित। आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह के प्रकरण क्रमांक 49/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08-02-2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है। उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवल्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है। अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता</p>	<p>पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p>

1.1.19

है। आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि
लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित
अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आरक्ष जेन) १०.१०.१९
सदस्य